:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– सोनु कुमार गुर्जर आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 2/21

1. श्रीमती रंजना पत्नि दिनेश रोत जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीया

1. श्री सुकरम उर्फ सुरजमल पिता माना रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
2. श्री रूपलाल पिता भाथी रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
3. श्री रमणलाल पिता गला रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
4. श्री गला पिता माना रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
5. श्री शंकर पिता गला रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
6. श्री सोमेश्वर पिता गला रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
7. श्री भाथी पिता माना रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
8. श्री जयसिंह पिता भाथी रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
9. श्रीमती मनिषा पत्नि शंकर रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
10. श्रीमती शारदा पत्नि प्रविण रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
11. श्रीमती लाली पत्नि रूपलाल रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
12. श्रीमती गीता पत्नि जयसिंह रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
13. श्रीमान तहसीलदार महोदय, चिखली ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धार 188, 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की ओर से।
अधिवक्ता श्री गौतमलाल रोत प्रतिवादीगण की ओर से।

–:निर्णयः–

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीया व प्रतिवादीगण गांव डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर के स्थायी निवासी है।

यह कि वादी के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 729 खसरा नम्बर 1737/301 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4854 है0 भूमि होकर स्थित है। जिस पर वादीया काबिज होकर काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है।

यह कि प्रतिवादीगण वादीया को उक्त आराजी पर कृषि कार्य करने मे रूकावट उत्पन्न कर झंगडा फंसाद करता है तथा धमकी देता है। जबकि उक्त आराजी पर वादीया लम्बे समय पर काश्त कर उपयोग उपभोग करते हुए आ रहे है।

यह कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद किया जाना आवश्यक है कि मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 729, खसरा नम्बर 1737/301 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4854 है0 में वादी को काश्त करने में रूकावट पैदा व जबरन अतिकमण न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, मजदुर से करावें।

यह कि जरीए आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की कब्जे काश्त की मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 729, खसरा नम्बर 1737/301 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4854 है0 में अवैध रूप से अतिकमण कर निर्माण करने पर उसे ध्वस्त कर हटाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र डामार व गौतमलाल रोत ने संयुक्त वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। 18.08.2021 को प्रतिवादीगण की ओर जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। 08.04.2022 को तनकीयात स्पष्ट की गई–

1. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी को मौजा डूंगरसारण के खाता संख्या 729 खसरा नम्बर 1737/301 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4854 है0 में वादी को काश्त करने में रूकावट पैदा नहीं करे, न ही प्रतिवादीगण, वादी की उक्त आराजी में अतिक्रमण स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेण्ट से करावें।

जिम्मे वादी

2. यह कि दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा मौजा डूंगरसारण की आराजी संख्या 1737/301 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4854 है0 में अतिक्रमण कर किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर लिये जाने पर उसे ध्वस्व कर कब्जा हटाया जाकर कब्जा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है।

जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादी का ग्राम डूंगरसारण की आराजी संख्या 1737/301 पर 50 साल पुराना कब्जा है जिसके आधार पर वादी के नाम आवंटन को निरस्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

4. अन्य अनुतोष।

जिम्मे वादी/प्रतिवादीगण

वादी के अधिवक्ता ने साक्ष्य वादी हेतु निम्नानुसार साक्ष्य प्रस्तुत किये–

PW1- श्रीमति रंजना/दिनेश रोत निवासी डूंगरसारण।

प्रदर्श 1– खाते की जमाबंदी संवत 2075–78

29.01.2025 को वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पी.डब्ल्यु 1 की जिरह पूर्ण की अतः जिरह बंदी की गई। पत्रावाली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई।

18.06.2025 को वकुलया पक्षकार उपस्थित हुए। अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करना चाहा अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

पत्रावली पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने बहस करना चाहा। वकील वादी व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी में रूकावट पैदा नहीं करें।

व्कील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कहा कि उक्त वादग्रस्त आराजी वादीया की खातेदारी है किन्तु कब्जा लम्बे समय से प्रतिवादीगण का रहा है।

महान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस संपन्न की जिस पर हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल तथ्यों एवं साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तनकीवार यह निर्णय करना उचित समझता हुं कि–

तनकी 1– वादग्रस्त आराजी वादीया की खातेदारी आराजी होने से इसका निर्णय वादीया के पक्ष में करना उचित समझता हू।

तनकी 2– दौराने वाद उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई निमार्ण कार्य किया जाना नहीं बताया गया है। अतः निर्णय अपेक्षित नहीं हैं

तनकी 3– आवंटन निरस्त करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं होने से प्रतिवादीगण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर राहत प्राप्त कर सकता है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 729, खसरा नम्बर 1737/301 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4854 है0 में अतिक्रमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावें। न ही वादीया को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट स्वयं पैदा करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरों से करावें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को सरेईजलास सुनाया गया।

(सोनु कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

डिकरी व मुकदमें ईब्तदाई
(सिविल प्रोसिजरकोड एपेन्डियस डी–1)
अज–अदालत :– उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपुर (राज0)
बईजलास– सोनु कुमार गुर्जर आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 2/21

दायर दिनांक :–21.01.2021
निर्णय दिनांक :– 25.06.2025

1. श्रीमती रंजना पत्नि दिनेश रोत जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीया

1. श्री सुकरम उर्फ सुरजमल पिता माना रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
2. श्री रूपलाल पिता भाथी रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
3. श्री रमणलाल पिता गला रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
4. श्री गला पिता माना रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
5. श्री शंकर पिता गला रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
6. श्री सोमेश्वर पिता गला रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
7. श्री भाथी पिता माना रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
8. श्री जयसिंह पिता भाथी रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
9. श्रीमती मनिषा पत्नि शंकर रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
10. श्रीमती शारदा पत्नि प्रविण रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
11. श्रीमती लाली पत्नि रूपलाल रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
12. श्रीमती गीता पत्नि जयसिंह रोत निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
13. श्रीमान तहसीलदार महोदय, चिखली ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धार 188, 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री बालगोविंद पाटीदार वादी की ओर से।
अधिवक्ता श्री गौतमलाल रोत प्रतिवादीगण की ओर से।

प्रकरण में डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे मौजा डूंगरसारण में खाता संख्या 729, खसरा नम्बर 1737/301 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4854 है0 में अतिकमण प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावें। न ही वादीया को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में रूकावट स्वयं पैदा करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरों से करावें।
दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 25.06.2025 को जारी की गई।

(सोनु कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

मुदई	रूपया/पैसा	मद्दायला	रूपया/पैसा

स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबुते महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

(सोनु कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली